

आदेश

वादाग्र स्वीकार किया जाता है तथा प्राथमिक डिप्टी इस आदेश की ही जारी है कि एम टी 2 नवाड की शरह में स्थित ग्राम स्व. नं. 1233 रकबा 0.1433 है. एवं 1233/1 रकबा 0.1434 है. का वादिया एवं पति. नं. 1 के उ का शण स्व निकाई में दर्ज हिस्सा एवं क 001 के अनुसार शस्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसील दार उदमपुरवाली उममपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करे तथा मम नकशा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करे। डिप्टी पचा जारी है।

प्रभावकी फंसल बुकार होकर नम्बर के काम हो तथा बाद तहसील दारखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 7.6.18 को कौमप कोर्ट टी 2 नवाड में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तहसील दार